न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर संभाग भोपाल

रिव्यू 1138-PBR-15 प्रकरण कमांक –

हेमराज आ0 स्व0 श्री मुलचन्द
आयु – लगभग 70 वर्ष
निवासी व कृषक – ग्राम मुंगालियाछाप
तह0 हुजूर, जिला भोपाल

प्रार्थी / पुर्नविलोकनकर्ता

विरूद्व

01. सपना गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल
द्वारा अध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार आ0 श्री विष्णु कुमार
निवासी – 16 / 2 व्ही. आई. पी. रोड कोहेफिजा भोपाल
02. प्रेमनारायण आ0 स्व0 श्री कनीराम , द्वारा मुख्तारआम
श्रीमति मालतीबाई पत्नि श्री प्रेमनारायण
03. श्रीमति रामश्री बाई पत्नि स्व0 श्री कनीराम
04. रामनारायण आ0 कनीराम
कं 02 से 04 निवासीगण गांधीनगर भोपाल
05. लक्ष्मीनारायण आ0 मांगीलाल मृत
द्वारा वारिसान 01 श्रीमति प्रेमबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण , वयस्क
02. रूकमणी , 03 मधु , दोनो वयस्क
04 कामनी 05 दीनदयाल 06 अखलेष कमांक , तीनो अल्पवयस्क
02 से 06 तक समस्त पुत्र एवं पुत्रीगण
स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण
06. महेश आयु वयस्क
07. कैलाश आ0 स्व0 मांगीलाल मृत
द्वारा उत्तराधिकारी – श्रीमति सुमन बाई आयु वयस्क
08. श्रीमति मिश्री बाई आयु – वयस्क , पत्नी स्व0 श्री मिश्रीलाल
04 से 08 तक समस्त निवासी – मुंगालिया छाप,
तह0 हुजूर भोपाल प्रतिप्रार्थीगण / उत्तरदातागण

राजस्व पुर्नविलोकन अर्न्तगत धारा – 51 म0 प्र0 भूराजस्व संहिता 1959

पुर्नविलोकनकर्ता / प्रार्थी द्वारा यह पुर्नविलोकन – रीविजन ग्वालियर प्रकरण कं 1640 / पी0 बी0 आर0 / 1640 / 14 में दिनांक 15. 01. 15. को पारित आदेश के विरूद्व निम्न ठोस तथ्यो एवं सुदृड वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही हैं :–

प्रकरण का सारांश

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी / पुर्नविलोकनकर्ता ने तहसील न्यायालय के समक्ष एक बटवारा प्रकरण कं 59 / अ–27 / 06–07 प्रतिप्रार्थीगणो के विरूद्व प्रस्तुत किया था। जिसमें तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 23. 06. 2008 को आदेश पारित कर बटवारा स्वीकृत किया था। जिसके विरूद्व प्रतिप्रार्थी कं 1 ने माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रकरण कं 110 / अपील / 07–08 प्रस्तुत की थी जो विचाराधीन थी।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1138–पीबीआर/15 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–1–2016	आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–1–2015 का अवलोकन किया गया । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण इस पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में प्रथम दृष्टया उपरोक्त आधारों में से कोई आधार उपलब्ध नहीं होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	